

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 06.12.2025

एसओजी/सर्विलांस टीम /थाना मऊदरवाजा/मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगणों को लूट के अभियोग से सम्बन्धित 02 मोटर साइकिल तथा 01 मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 354/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात से सम्बन्धित विवेचना के क्रम में प्रकाश में 04 अभियुक्तों को लूटी गयी 02 मोटर साइकिल व मोबाइल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रोहित शाक्य पुत्र रामसेवक शाक्य निवासी झौनी नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. सुधांशू चौहान उर्फ एसके चौहान पुत्र स्व0 बृजेश सिंह चौहान निवासी ग्राम सैरैया न्यामतपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. शहबाज उर्फ रिषभ पठान पुत्र अंसार उर्फ अच्छे निवासी ग्राम बाबरपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
4. विशाल शाक्य पुत्र अशोक शाक्य निवासी झौनी नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 01.12.2025 को वादी श्री मदनलाल पुत्र श्री किशनलाल निवासी ग्राम खगऊ पोस्ट हरसिंहपुर गोवा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ जो कि शराब के ठेके पर सेल्समेन का कार्य करता है, को ठेका बन्द कर वापस अपने घर जा रहा था तब रात्रि के समय करीब 10.30 बजे कायमगंज फर्रुखाबाद बाईपास पर आल इज वेल ढाबे के पास दो अज्ञात व्यक्ति, जिनके मुँह पर मफलर बंधा था, डण्डा लेकर खड़े थे तथा एक व्यक्ति सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर बैठा था। उक्त तीनों लोगों ने उसे रोका और उसकी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा CD DOWN को लूटकर वहाँ से भाग गये। वादी की सूचना पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0 354/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में टीम बनाकर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन व लूट के अभियोग से सम्बन्धित अज्ञात लूटेरो व लूटी गयी मोटरसाइकिलों की सघनता के साथ चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान एक संदिग्ध मो0सा0 जिस पर चालक व 3 अन्य व्यक्ति बैठे थे को रोककर पूछताछ करने पर मोटर साइकिल उपरोक्त पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित पायी गयी। बरामदगी के आधार पर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ के दौरान अभियुक्तों की निशादेही पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 367/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक मो0सा0 (इंजन व पहिया खुला हुआ बिना नम्बर प्लेट) बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोटर साइकिल हीरो होण्डा CD DOWN नं0 UP74D2601
2. एक मोटर साइकिल इंजन व पहिया खुला हुआ बिना नम्बर प्लेट
3. एक मोबाइल नारजो कम्पनी

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0354/2025 धारा 309(4)/317(2) BNS थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 0367/2025 धारा 309(4)/317(2) BNS कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:-

1. थानाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह
2. उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह यादव
3. हे0का0 मनोज कुमार
4. हे0का0 अनुज तिवारी
5. हे0का0 सरताज
6. का0 अनुज कुमार

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश सिंह चाहर
2. उ0नि0 श्री आशु कुमार
3. का0 ललित कुमार

एसओजी पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सचिन चौधरी (प्रभारी SOG)
2. हे0का0 चन्द्रशेखर
3. हे0का0 करन यादव
4. का0 दिव्यांशू
5. का0 सौरभ धीमान
6. का0 विकास चन्द्र
10. आरक्षी चालक धर्मेन्द्र सिंह

सर्विलांस पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 श्री सन्त कुमार (प्रभारी सर्विलांस सेल)
02. कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी अमित कुमार
03. हे0का0 संदीप राव
04. हे0का0 अनुराग कुमार
05. हे0का0 सचेन्द्र सिंह
06. हे0का0 मयंकदीप
07. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 ***

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि 0-06.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “मिशन शक्ति 5.0” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अमन सिंह पुत्र गुड्डू सिंह निवासी खलोरा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई मु0अ0सं0 – 348/2019 धारा 294 भादवि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.12.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा। सुरक्षा, विश्वास और न्याय के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए फतेहगढ़ पुलिस मिशन शक्ति के उद्देश्यों को भविष्य में भी प्रभावी रूप से लागू करती रहेगी।





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कम्पिल



[#MissionShakti](https://twitter.com/MissionShakti)



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली फतेहगढ़





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फर्रुखाबाद



मिशन शक्ति 5.0



थाना अमृतपुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना जहानगंज





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



महिला थाना





मिशन शक्ति 5.0



थाना मेरापुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली मोहम्मदाबाद



[#Fatehgarhpolice](https://twitter.com/Fatehgarhpolice)